

प्रेस नोट दिनांक 14.10.2026

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी पुलिस द्वारा शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत 01 अभियुक्त को धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 426/2026, धारा 351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त राजू सरोज पुत्र स्व0 रामनरेश सरोज, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी ग्राम कुन्दनपुर, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ को शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 14.10.2026 को उ0नि0 प्रशान्त कटियार मय हमराह का0 सोनू कुमार, का0 इन्द्रजीत बिंद, का0 अमन सिंह एवं म0का0 पूजा के साथ मु0अ0सं0 426/2026, धारा 351(3) बीएनएस की विवेचना एवं अभियुक्त की तलाश में क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त राजू सरोज अपनी ससुराल ग्राम सरसीखाम में मौजूद है। पुलिस टीम मौके पर पहुँची तो अभियुक्त मौजूद मिला। पूछताछ के दौरान आमादा फसाद होने लगा। पुलिस टीम द्वारा उसे समझाने का प्रयास किया गया, किन्तु उसके नहीं मानने पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत अन्य कोई विकल्प न होने के कारण अभियुक्त को दिनांक 14.10.2026 को समय करीब 01:00 बजे नियमानुसार धारा 170 बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत चालानी रिपोर्ट तैयार कर माननीय न्यायालय भेजने हेतु आवश्यक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजू सरोज पुत्र स्व0 रामनरेश सरोज, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी ग्राम कुन्दनपुर, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

राजू सरोज पुत्र स्वर्गीय रामनरेश सरोज निवासी ग्राम कुन्दनपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

1. मु0अ0सं0 119/2021 धारा 147, 148, 149, 286, 323, 336, 452, 504, 506 थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

2. मु0अ0सं0 13/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

3. मु0अ0सं0 14/2022 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़
4. मु0अ0सं0 298/2024 धारा 191(2),191(3),190,132,115(2),125,221,352,351(2),109, 121(1) बीएनएस थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़
5. मु0अ0सं0 229/2024 धारा 351(3),352 बीएनएस थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़
6. मु0अ0सं0 305/2024 धारा 316(2),351(3),352 बीएनएस थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़
7. मु0अ0सं0 70/2026 धारा 281/191(2)/190/115(2)/352/351(3)/324(4) बीएनएस थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़
8. मु0अ0सं0 06/2024 धारा 147, 323, 452, 504, 506 भादवि थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़
9. मु0अ0सं0 117/2015 धारा 147, 148, 149, 323, 325, 452, 504, 506 भादवि थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़
10. मु0अ0सं0 295/2024 धारा 316(2), 318(4) बीएनएस थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़
11. मु0अ0सं0 119/2010 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़
12. मु0अ0सं0 129/2019 धारा 110 G सीआरपीसी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़
13. मु0अ0सं0 426/2026 धारा 351(3) BNS थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रशान्त कटियार मय हमराह का0 सोनू कुमार, का0 इन्द्रजीत बिंद, का0 अमन सिंह, म0का0 पूजा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 14.10.2026

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा ₹10,000 के इनामिया वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में वांछित एवं इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 70(2)/351(3)/352 बीएनएस, धारा 5G/6 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 3(1)द/3(1)ध/3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट से संबंधित ₹10,000 के इनामिया वांछित अभियुक्त अतुल यादव पुत्र राजेश यादव, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम सांढ़, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 24.07.2026 को ₹10,000 का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 14.10.2026 को उ०नि० आकाश शुक्ला मय हमराह हे०का० मनोज कुमार, रि०का० यशवंत कन्नौजिया एवं रि०का० निखिल प्रसाद के साथ गीतानगर बाजार में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि थाना फतनपुर का वांछित इनामिया अभियुक्त अतुल यादव नहर पुलिया सांढ़ गेट के पास खड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुँची तो अभियुक्त पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे हमराही पुलिसकर्मियों की मदद से पकड़ लिया गया। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अतुल यादव पुत्र राजेश यादव, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम सांढ़, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० आकाश शुक्ला।

हे०का० मनोज कुमार।

रि०का० यशवंत कन्नौजिया।

रि०का० निखिल प्रसाद थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 14.10.2026

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू पुलिस द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत जारी रिकवरी वारंट के अनुपालन में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं वारंटों के अनुपालन हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अन्तू पुलिस द्वारा घरेलू हिंसा प्रताड़ना से संबंधित वाद संख्या 1190/24, रुकमणी वर्मा बनाम विनोद कुमार वर्मा, धारा 131 घरेलू हिंसा अधिनियम, थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़ में जारी रिकवरी वारंट (भरण-पोषण की धनराशि की वसूली हेतु कुर्की एवं बिक्री) के अनुपालन में अभियुक्त विनोद कुमार वर्मा पुत्र जगतनारायण, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी ग्राम परसीपुर कल्याणपुर, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विनोद कुमार वर्मा पुत्र जगतनारायण, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी ग्राम परसीपुर कल्याणपुर, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० रज्जन राव।

का० आनन्द गौड़।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 14.10.2026

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु, दहेज उत्पीड़न एवं अन्य संबंधित धाराओं के मुकदमे में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अन्तू पुलिस के उ०नि० विजय कुमार त्रिवेदी मय हमराह का० पवन कुमार मौर्य व का० रितेश कुमार सिंह द्वारा क्षेत्र में भ्रमण एवं मां दुर्गा प्रतिमा भ्रमण के दौरान गड़वारा तिराहे के पास से मु०अ०सं० 235/2026, धारा 80(2)/85/115(2)/351(3) बीएनएस व धारा 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित अभियुक्त जयचन्द्र सिंह पुत्र जगदीश बहादुर सिंह, उम्र करीब 58 वर्ष, निवासी गाड़ी दर्श, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ने बताया कि उसके परिवार के विरुद्ध उसकी पुत्रवधू की फांसी लगाकर मृत्यु होने के संबंध में मुकदमा दर्ज है तथा वह रिश्तेदारी में जा रहा था। अभियुक्त को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जयचन्द्र सिंह पुत्र जगदीश बहादुर सिंह, उम्र करीब 58 वर्ष, निवासी गाड़ी दर्श, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० विजय कुमार त्रिवेदी मय हमराह का० पवन कुमार मौर्य व का० रितेश कुमार सिंह, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 14.10.2026

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट के क्रम में 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 फिरोज खान मय हमराह कां0 सलोने कुमार द्वारा माननीय न्यायालय एसीजेएम-13, प्रतापगढ़ से निर्गत गिरफ्तारी वारंट, एसटी संख्या 1340/04, राज्य बनाम रऊफ उर्फ बैताली आदि, एनसीआर संख्या 132/01, धारा 323/504 भादवि , थाना रानीगंज से संबंधित वारण्टी अभियुक्त मो0 फारुक उर्फ फारुक पुत्र ननकू, उम्र करीब 47 वर्ष, निवासी ग्राम विष्णुपुर कला, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार गुप्ता मय हमराह रि0का0 विशाल यादव द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय-II, प्रतापगढ़ से निर्गत गिरफ्तारी वारंट व वसूली वारंट, मु0नं0 279/18, ललिता मौर्या बनाम अमर बहादुर, धारा 128 सीआरपीसी/बीएनएसएस से संबंधित वारण्टी अभियुक्त अमर बहादुर मौर्य पुत्र भड़याराम मौर्य, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी ग्राम बासी, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मो0 फारुक उर्फ फारुक पुत्र ननकू, उम्र करीब 47 वर्ष, निवासी ग्राम विष्णुपुर कला, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
2. अमर बहादुर मौर्य पुत्र भड़याराम मौर्य, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी ग्राम बासी, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 फिरोज खान मय हमराह कां0 सलोने कुमार।

उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार गुप्ता मय हमराह रि0का0 विशाल यादव, चौकी दुर्गागंज/कसेरुआ, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 14.10.2026

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

नाबालिग अपहृता की बरामदगी के साथ अभियुक्त हिरासत में, एक ही थाना क्षेत्र में अभियुक्त के विरुद्ध तीन मुकदमे पंजीकृत

थाना नवाबगंज पुलिस ने मु0अ0सं0 144/2026 में अपहृता को बरामद कर अभियुक्त को लिया हिरासत में, विवेचना में धारा 87 बीएनएस की बढ़ोत्तरी।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी नवाबगंज श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रितेश कुमार राय मय हमराह का0 उपेन्द्र सिंह व म0का0 उजाला मिश्रा द्वारा देखभाल क्षेत्र, वांछित अभियुक्तों की तलाश एवं अपहृता की बरामदगी के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 144/2026, धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित नाबालिग अपहृता को कन्धई मोड़ से बरामद किया गया तथा अभियुक्त राहुल विश्वकर्मा पुत्र हरिकेश विश्वकर्मा, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम कधई, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ को हिरासत में लिया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अपहृता एवं अभियुक्त ने एक-दूसरे से प्रेम संबंध होने की बात बताई। अपहृता ने बताया कि वह अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ सूरत गई थी, जहाँ दोनों पति-पत्नी की तरह रह रहे थे। अपहृता के पिता को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने उसकी पहचान की। प्रकरण की विवेचना के क्रम में मुकदमे में धारा 87 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

➡प्रकरण की प्रमुख बातें-

बरामद अपहृता नाबालिग है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अपहृता पूर्व में भी तीन बार इसी अभियुक्त के साथ जा चुकी है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज में कुल तीन मुकदमे पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राहुल विश्वकर्मा पुत्र हरिकेश विश्वकर्मा, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम कधई, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 144/2026, धारा 87/137(2) बीएनएस, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 177/2025, धारा 137(2) बीएनएस, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 42/2025, धारा 351(2)/64(2)/65(1) बीएनएस व धारा 5(I)/6(1) पॉक्सो एक्ट, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 रितेश कुमार राय मय हमराह का0 उपेन्द्र सिंह व म0का0 उजाला मिश्रा, थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 14.10.2026

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थानाध्यक्ष राधेश्याम मय हमराह का0 दिलीप यादव, का0 विपुल यादव व का0 गोलू यादव तथा चालक मु0आ0 सन्तोष कुमार राय द्वारा तलाश वारण्टी अभियुक्त के दौरान माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), कक्ष संख्या-19, प्रतापगढ़ द्वारा जारी गैर जमानती वारंट (NBW), ओल्ड कम्प्लेंट केस संख्या 376/2019, अरुण कुमार बनाम महेन्द्र कुमार, अपराध संख्या 00/2019, धारा 138 एनआई एक्ट, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त महेन्द्र कुमार उर्फ बच्चा पटेल पुत्र स्व0 रामबहादुर पटेल, निवासी ग्राम सहेरुआ, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 41 वर्ष को विश्वनाथगंज कस्बे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- महेन्द्र कुमार उर्फ बच्चा पटेल पुत्र स्व0 रामबहादुर पटेल, निवासी ग्राम सहेरुआ, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 41 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष राधेश्याम मय हमराह का0 दिलीप यादव, का0 विपुल यादव व का0 गोलू यादव तथा मु0आ0 सन्तोष कुमार राय (चालक), थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 14.10.2026

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 स्मार्टफोन बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महेशगंज पुलिस द्वारा धारा 64(2)(m)/87/137(2)/352/351(3) बीएनएस एवं धारा 5L/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त विशाल कुमार पुत्र दिलीप, निवासी ग्राम रोखा, थाना डीह, जनपद रायबरेली को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद सफेद रंग का ओप्पो कंपनी का स्मार्टफोन बरामद हुआ।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 14.10.2026 को उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह का0 सुनील कुमार, का0 अजीत यादव एवं म0रि0का0 सीमा गुप्ता के साथ क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि थाना महेशगंज क्षेत्र के डीहवा जलालपुर में हुई घटना से संबंधित वांछित अभियुक्त विशाल कुमार, थाना संग्रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम नेवादा खुर्द में अपने रिश्तेदार के घर पर मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुँची। पुलिस को देखकर अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त की पैंट की दाहिनी जेब से 01 अदद सफेद रंग का ओप्पो कंपनी का स्मार्टफोन बरामद व नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विशाल कुमार पुत्र दिलीप, निवासी ग्राम रोखा, थाना डीह, जनपद रायबरेली।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद स्मार्टफोन, ओप्पो कंपनी, सफेद रंग।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० संतोष कुमार मय हमराह का० सुनील कुमार, का० अजीत यादव, म०रि०का० सीमा गुप्ता
थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।